(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 75 **नई दिल्ली** 10 मई 2005

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्‌द्वारा, अपने वर्तमान दरमान की वैधता बढ़वाने के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है ।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी /11/2005-एनएमपीटी

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) ---- आवेदक

आदेश

(अप्रैल 2005 के 25 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन को अनुमोदन प्रदान करते हुए 9 अगस्त 2001 को एक आदेश पारित किया था । संशोधित दरमान के साथ वह आदेश भारत का राजपत्र में राजपत्र संख्या 250 के माध्यम से 19 सितम्बर 2001 को अधिसूचित किया गया था ।

2. कथित आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान वर्ष 2001-02 और वर्ष 2002-03 दो वर्ष की लागत विवरणी द्वारा प्रतिबिम्बित लागत स्थिति पर आधारित था । दो वर्ष का निर्धारित प्रशुल्क वैधता चक्र का अनुपालन करते हुए, एनएमपीटी का वर्तमान दरमान अगस्त 2003 में संशोधन के लिए अपेक्षित हो गया ।

3.1. एनएमपीटी ने अपने दरमान की वैधता अवधि बीतने के एक वर्ष बाद अपने दरमान की वैधता 31 अगस्त 2005 तक बढ़वाने का प्रस्ताव किया है । एनएमपीटी ने हमारे अनुरोध पर तत्पश्चात प्रमुख गतिविधियों के लिए समुचित लागत विवरणी समेकित लागत विवरणी और मंगलोर रिफाइनरी पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (केआईओसीएल) को छोड़कर समूचे पत्तन की लागत विवरणी दाखिल की ।

3.2. एनएमपीटी ने बताया है कि लागत विवरणियों में इस प्राधिकरण द्वारा हाल ही में पारित आदेश की दृष्टि से तटीय पोतों / तटीय कार्गो / कन्टेनरों को प्रदत्त 60% रियायत के कारण प्रचालनीय आय में कमी पर विचार नहीं किया जाता है । इसी प्रकार गहरी जलराशि वाले बर्थों के निर्माण, पूंजीगत निकर्षण, रेलवे सुविधाएँ और सड़कें जैसी परियोजनाओं पर होने वाले पूंजीगत व्यय, जो वर्ष 2004-05 और 2005-06 में पूंजी में परिवर्तित हो सकता है, पर भी लागत विवरणी में विचार नहीं किया गया है ।

3.3. एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई लागत विवरणी में वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए प्रचालनीय आय में 6.79% के औसतन घाटे को प्रतिबिम्बित किया गया है । इसने बताया है कि पत्तन ने संशोधित मार्गदर्शियों के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निवेशित पूंजी पर आमदनी (आरओसीई) प्राप्त नहीं किया है । इसके बावजूद, इसने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह इसके प्रचलित दरमान को अगस्त 2003 में इसकी वैधता समाप्त होने के समय से दो वर्ष तक अर्थात अगस्त 2005 तक लागू रखने की अनुमति दे दे । इसने अपने प्रचलित दरमान के संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव समय से बहुत पहले प्रस्तुत करने पर अपनी सहमति दे दी है ।

4.1. लागत विवरणियों की प्राथमिक जाँच पड़ताल के आधार पर एनएमपीटी से विभिन्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । प्रत्युत्तर में, एनएमपीटी ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी है और उसने संशोधित लागत विवरणी भी दाखिल कर दी है ।

4.2. संशोधित लागत विवरणी वर्ष 2005-06 में समूचे पत्तन के लिए 7.57% की घाटे की स्थिति दर्शाती है और एमआरपीएल तथा केआईओसीएल गतिविधियों को छोड़कर पत्तन के लिए 11.3% के घाटे को दर्शाती है । एनएमपीटी ने इस प्रकार अपने दरमान की वैधता के विस्तार के लिए आग्रह किया है ।

5.1. यह देखा गया है कि वीआरएस भुगतान और पिछली देयताओं को पूरा करने के लिए पेंशन निधि की मद में योगदान वर्ष 2005-06 के प्रेक्षणों में सम्मिलित किए गए हैं । संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों में विशेष रूप से निदेश दिया गया है कि प्रशुल्क निर्धारण करते समय वेतनादि / पेंशन बकाया, वीआरएस क्षतिपूर्ति, पिछली देयताओं के लिए पेंशन निधि में योगदान को ग्राहय लागत के रूप में अनुमत नहीं किया जाएगा । पत्तन को अपनी यह देयता विशेष रूप से अलग रखे गये कोश / प्रावधान को छोड़कर संचयित अधिशेषों / निधियों से पूरी करनी चाहिए और जिस मात्रा में ये इस प्रकार पूरी न की जा सकें, उस मात्रा के लिए एक उपयुक्त विशेष दर एक सीमित अवधि के लिए, ऐसी देयताओं को पूरा करने हेतु निर्धारित की जा सकती हैं । इस प्राधिकरण द्वारा यह कार्यविधि इससे भी पहले वेतन और पेंशन के बकाया की वसूली के लिए कोलकाता पत्तन न्यास में और सुपरवाइजरी कर्मचारियों आदि से संबंधित वेतन बकाया की देयता पूरी करने के लिए मुंबई पत्तन न्यास में भी अपनाई जा चुकी है । तूतीकोरिन पत्तन न्यास में, पूंजीगत निकर्षण के लिए प्राप्त किए गए विदेशी मुद्रा ऋण को सेवा प्रदान करने के लिए एक विशेष दर सुनिश्चित की गई थी ।

5.2. जैसाकि एमआरपीएल और केआईओसीएल दो समर्पित जैट्टियाँ हैं जो विशेष रूप से इन दो उपयोगकर्त्ताओं के उपयोग के लिए ही निर्माण की गई हैं और अलग-अलग समझौता ज्ञापने से शासित होती हैं । जहाँ तक इन दो उपयोगकर्त्ताओं से प्रशुल्क इकट्ठा करने की बात है, इन दो अलग-अलग गतिविधियों में घाटे के लिए, अन्य उपयोगकर्त्ताओं पर बोझ लादना उपयुक्त नहीं पाया गया है । दूसरे शब्दों में, यदि एनएमपीटी, अलग-अलग समझौता ज्ञापनों में स्वीकृत विशिष्ट कार्यविधि के कारण इन दो गतिविधियों में अधिकतम अनुमेय आरओसीई प्राप्त नहीं कर पाता है तो पत्तन, समूचे पत्तन के लिए पूर्ण आरओसीई का दावा करके इन दो गतिविधियों की (सहायता / सहारा) नहीं ले सकता । अतएव, समूचे पत्तन के लिए अधिकतम अनुमेय आरओसीई, अलग-अलग प्रमुख गतिविधियों के अन्तर्गत अनुमेय आरओसीई के कुल योग तक सीमित किया जाना चाहिए । एनएमपीटी को परामर्श दिया जाता है वह व्यापक समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव तैयार करते समय इस प्रेक्षण का ध्यान रखे ।

5.3. वर्ष 2005-06 में निवेशित पूंजी प्रेक्षण में, इस वर्ष पूरा होने के संभावित बहुउद्देशीय गहरे ड्राफ्ट की मद में पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित पाया गया है । तथापि, ऐसा करते समय, इस बर्थ के चालू हो जाने पर अतिरिक्त यातायात को, वर्ष 2005-06 के यातायात प्रेक्षणों में सम्मिलित किया हुआ नहीं पाया गया है ।

6.1. एनएमपीटी ने,एक वर्ष से भी अधिक समय निकल जाने के बाद दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात अगस्त 2003 से अगस्त 2005 तक दरों के विस्तार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । वास्तव में, इसे इस प्राधिकरण के पास, अपने दरमान की वैधता अगस्त 2003 में समाप्त होने से बहुत पहले आना चाहिए था । यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि किसी भी उपयोगकर्त्ता ने एनएमपीटी के वर्तमान दरमान के प्रति कोई भी बिन्दुवार / तार्किक आपत्ति व्यक्त नहीं की है । एनएमपीटी द्वारा मांगा गया यह विस्तार अब से अगस्त 2005 तक केवल चार माह ही प्रभावी रहेगा । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्रशुल्क निर्धारण के लिए हाल ही में घोषित संशोधित मार्गदर्शियों को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण, इससे पहले अनुमोदित दरों की वैधता को सितम्बर 2005 तक विस्तार प्रदान करता है ।

6.2. एनएमपीटी को परामर्श दिया जाता है कि वह मुख्य गतिविधियों / उप-गतिविधियों की निर्धारित प्रोफार्मा में आनुषंगिक लागत विवरणी के साथ, तीन वर्षों के लिए प्रेक्षण देते हुए, संशोधित प्रशुल्क मार्गदर्शियों के अनुरूप अपने दरमान के संशोधन हेतु 30.06.2005 तक व्यापक प्रस्ताव दाखिल कर दे ताकि यह प्राधिकरण सितम्बर 2005 तक इसके दरमान की समीक्षा / संशोधन कर सके ।

7. परिणामस्वरूप , और ऊपर बताए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण अपने पिछले आदेश संख्या टीएएमपी /18/2001-एनएमपीटी दिनांक 9 अगस्त 2001 द्वारा अनुमोदित और समय-समय पर परिवर्तित वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितम्बर 2005 तक बढ़ाता है ।

एनएमपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह अगली समीक्षा के लिए अपना व्यापक प्रस्ताव अधिकतम 30 जून 2005 तक अवश्य प्रस्तुत कर दे ।

(अ.ल.बोंगिरवार)
अध्यक्ष